ठि. नथमल बनाम सरकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | पेशी प्र.नं. 145/2024 |

30.04.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तामील अरालतन होकर लौटी है, बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादी ने बहस सुनी जाने का निवदेन किया, वकील वादी के निवदेन पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

20.05.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 21.05.2025 को पेश हो।

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21.05.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] पूर्ण कर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

( अनिल कुमार )
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- | --- |
| 145/2024 | 2024/316 | 25.09.2024 | 21.05.2025 |

उनवान प्रकरण

1. शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल उम्र 39 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढाणी केरली तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

–वादी–

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री विक्रम सिंह बांकावत्, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक,दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा (अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 985 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 988 रकबा 1.02 हैक्टर कुल किता–3 कुल रकबा 1.96 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान के हिस्सा 1/12 का वादी काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योपाल पुत्र चोथू दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि में वादी का नाम शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर नाम दर्ज चला आ रहा है। परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम श्योपाल पुत्र चोथू दर्ज होने के कारण आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतादाता पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि अन्य समस्त दस्तावेजात मे वादी का नाम शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर दर्ज होने के कारण वादी उक्त भूमि पर मिलने वाली सरकारी अनुदान सहायता आदि प्राप्त नही कर पा रहा। इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम श्योपाल पुत्र चोथू की जगह शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। इस्तदुआ वादी है कि आज्ञप्ति बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न रूपेण सादर फरमाई जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 985 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 988 रकबा 1.02 हैक्टर कुल किता–3 कुल रकबा 1.96 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान के हिस्सा 1/12 भाग के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योपाल पुत्र चोथू की जगह शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर दुरूस्त किया जाकर वादी को उक्त भूमि के 1/12 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होकर लोटी है, बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट चाही गई थी, जिसके परिपेक्ष्य में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक कमांक/भू.अ./25/[illegible] दिनांक 19.03.2025 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 985 वगै किता–3 रकबा 1.96 हैक्टर में वादी की खातेदारी श्योपाल पि. चोथू जाति गुर्जर हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है। वादी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी वगै0 मे प्रार्थी का नाम शिवपाल पि. चौथमल दर्ज है। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट जांच दिनांक 10.01.2025 के श्योपाल पि. चौथू व शिवपाल गुर्जर पि. चौथमल गुर्जर एक ही व्यक्ति है। शिवपाल पुत्र चौथमल गुर्जर नाम का अन्य खातेदार प.म. अजीतगढ में दर्ज रिकार्ड नहीं है। वकील वादी ने वादपत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दीं, आधार कार्ड, ड्राईविंब लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट इत्यादि इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 985 वगै किता–3 रकबा 1.96 हैक्टर में वादी की खातेदारी श्योपाल पि. चोथू जाति गुर्जर हिस्सा 1/12 दर्ज खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है । जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, ड्राईविंब लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट इत्यादि में भी वादी का नाम शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसकी ताईद वादी के वादपत्र के समर्थन में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट से होती है। अतः ऐसी [illegible] वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर श्योपाल पुत्र [illegible] पुत्र चौथमल गुर्जर उर्फ चौथू शुद्ध किया जाकर दुरूस्त [illegible] प्रतित होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

## :: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा उद्घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 986 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 988 रकबा 1.02 हैक्टर कुल किता–3 कुल रकबा 1.96 हैक्टर अवस्थित ग्राम अजीतगढ़ पटवार हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के हिस्सा 1/12 भाग के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्योपाल पुत्र चौथू की जगह शिवपाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर उर्फ चौथू दुरूस्त किया जाकर वादी को उक्त भूमि के 1/12 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को ... लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested